



संख्या : /जी0एस0(शिक्षा)/ A3-120/2021

प्रेषक,

रविनाथ रामन,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय: उत्तराखण्ड
महोदय,

देहरादून: दिनांक 31 मार्च, 2023

कृपया कुलसचिव के पत्र संख्या: 08 दिनांक 06.04.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से कुलसचिव द्वारा एस0ओ0एस0 जे0एन0कौल इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, भीमताल (नैनीताल) को बी0एड0 पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराये गये हैं।

2- शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण प्रस्ताव पर मा0 कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न उपबन्धों के साथ स्वीकृति/अनुमोदन प्रदान किया गया है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	एस0ओ0एस0 जे0एन0कौल इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, भीमताल (नैनीताल)	बी0एड0	100 सीट	2021-22

- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, **U.G.C** विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्रवाई करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह में उपलब्ध करायें।
- संस्थान में भवन, पुस्तकालय, प्रयोशाला एवं फैंकल्टी मानकानुसार पूर्ण कराते हुए तत्सम्बन्धी अभिलेख आवश्यक रूप से इस सचिवालय को उपलब्ध कराने का दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।
- विश्वविद्यालय संस्थान द्वारा **Society Registration Act** के अन्तर्गत निर्धारित **Annual Balance Sheet** के सम्बन्ध में साक्ष्य 02 माह के भीतर आख्या सहित इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
- संस्थान द्वारा **N.C.T.E** के मानकानुसार अध्ययनरत् छात्रों के व्यावहारिक प्रशिक्षण (**Practical Training**) एवं स्थानबद्ध प्रशिक्षण इन्टर्शिप हेतु जो व्यवस्था की गई है। विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी अभिलेख 02 माह में इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
- यदि संस्थान द्वारा एक या एक से अधिक विश्वविद्यालयों से पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता प्राप्त की गई हो तो संस्थान द्वारा समस्त पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में पाठ्यक्रमानुसार मानक पूर्ण किये जाने विषयक आख्या सम्बन्धित विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी तथा सम्बन्धित विश्वविद्यालय तद्विषयक आख्या इस सचिवालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगा।
- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव **U.G.C** विनियम/नियामक संस्था एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे अन्यथा की स्थिति अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा, जिसका पूर्ण दायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

तदनुसार अग्रेत्तर कार्रवाई सुनिश्चित करें।

भवदीय,

Signed by Ravinath Raman

Date: 31-03-2023 18:21:31

(रविनाथ रामन)

कुलाधिपति के सचिव।

: 2 :

संख्या : (1)/जी0एस0/शिक्षा/ A3-120/2021 तददिनांकित।

प्रतिलिपि :-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. - सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. - निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. - प्राचार्य, एस0ओ0एस0 जे0एन0कौल इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, भीमताल, नैनीताल।
4. - कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(स्वाति एस0 भदौरिया)

कुलाधिपति के अपर सचिव।